निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–.............. दिनांक–.....................

5 स0 अपील (माँ तारा)–36/2015

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री माँ तारा जैविक उद्योग
प्रो0–श्री अर्जुन कुमार साह
सोनाली चौक, गुलाब बाग, जिला–पूर्णिया, पिन–854326

विषयः– दायर अपीलवाद सं0–36/2015 में पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री माँ तारा जैविक उद्योग बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–

विश्वासभाजन
ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2151 दिनांकः– 24.5.18

प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/5/18
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
24/5/18

C:\Users\Industry\Desktop\SEC 5 Doc\57

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 36/2015

सर्वश्री माँ तारा जैविक उद्योग, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णियाँ सिटी

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

09.05.2018

प्रश्नगत अपील मेसर्स माँ तारा जैविक उद्योग, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णियाँ सिटी द्वारा बिय के आदेश ज्ञापांक 782/डी0 दिनांक 20.08.2015 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर f गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक प्रां पूर्णियाँ सिटी में कुल रकवा 16250 वर्गफीट भूमि औरगेनिक कमपोस्ट का उद्योग लगाने हेतु कार्या पत्रांक 322/डी0 दिनांक 12.02.2008 को आवंटित किया गया और उन्हें पत्रांक 1532/डी0 अनुसार मात्र 10000 वर्गफिट भूमि ही दिया गया। ऐसे में जैविक उद्योग के अनुसार भूमि कम पड़ ग जिसके कारण उनका उद्योग नहीं लग सका। जैविक उद्योग के लिए उन्हें 16250 वर्गफिट जमीन आवश्यकता है उनका कथन है कि औद्योगिक प्रांगण में उद्योग संबंधी कन्सट्रक्शन का काम प्रारम्भ करवाया फिर भी उन्हें आज तक पूरा जमीन नहीं मिल सका है। जबकि वांछित बकाया रा बियाडा को भुगतान किया जा चुका हूँ। पुनः कथन है कि 16250 वर्गफिट जमीन नहीं दिया जाए तो उन्हें 10000 वर्गफिट जमीन पर दुसरा प्लांट माँ तारा प्लास्टिक वर्क्स खोलने की अनुमति प्रदा किया जाए। माँ तारा प्लास्टिक वर्क्स हेतु प्रोजेक्ट रिर्पोट एवं शपथ पत्र बनाने हेतु दिया गया है जै ही बनकर आता है वे कार्यालय में जमा कर देंगे। माह जुलाई में उनका एक्सीडेंट हो जाने के कार ब्रेन का ऑपरेशन भी हुआ है। इस समय उद्योग के प्रति निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अंत में बियाड के आदेश ज्ञापांक 782/डी0 दिनांक 20.08.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि बियाडा द्वारा सर्वश्री माँ तारा जैविक उद्योग, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णियाँ सिटी अंत में में कुल रकवा 10000 वर्गफीट भूमि औरगेनिक कमपोस्ट का उद्योग लगाने हेतु कार्यालय पत्रांक 322/डी0 दिनांक 12.02.2008 को आवंटित किया गया था भू–आवंटन के लगभग 02 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी स्थल पर औद्योगिक गतिविधि प्रारम्भ नही करने के फलस्वरुप इकाई को पत्रांक 62/डी0 दिनांक 29.01.2010 के द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के जवाब में इकाई द्वारा आवंटित स्थल पर लगे पेड़ों को हटवाने का अनुरोध किया गया। इकाई द्वारा जगह की कमी रहने के कारण अतिरिक्त भू–आवंटन का अनुरोध किया गया एवं साथ में यह भी सूचित किया गया कि जगह की भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में परियोजना परिवर्तन का भी अनुरोध किया गया। इकाई को पत्रांक 1427/डी0 दिनांक 19.09.13 के द्वारा अंतिम नोटिस दिया गया। स्थलीय प्रतिवेदन के आधार पर इकाई को पुनः पत्रांक 207/डी0 दिनांक 03.03.15 के द्वारा अंतिम नोटिस दिया गया। अंतिम नोटिस के जवाब में इकाई द्वारा पुनः सूचित किया गया कि नये परियोजना हेतु इकाई में निर्माण कार्य जारी है एवं परियोजना परिवर्तन हेतु आवश्यक कागजातों को तैयार करवाया जा रहा है। अद्यतन इकाई द्वारा परियोजना परिवर्तन हेतु वांछित कागजातो को जमा नहीं किया गया है। वर्तमान में इकाई द्वारा स्थल पर उद्योग स्थाना संबंधी कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अंत में आदेश ज्ञापांक 782/डी0 दिनांक 20.08.2015 द्वारा आवंटित भूखंड को रद्द कर दिया गया।

Osd leater 1

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्प
कि बियाडा द्वारा सर्वश्री माँ तारा जैविक उद्योग, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णियाँ सिटी अंत में में कुल
10000 वर्गफीट भूमि औरगेनिक कमपोस्ट का उद्योग लगाने हेतु कार्यालय पत्रांक 322/डी0 f
12.02.2008 को आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा भूमि आवंटन के लम्बी अवधि के बाद भी
स्थापना के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा उद्योग स्
हेतु समय-समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। इकाई द्वारा भूमि आवंटन होने की लम्बी अवधि
जाने के उपरान्त भी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जाना भूमि आवंटन आदेश में निहित शर्त
उल्लंघन है। इकाई के स्वामी द्वारा शेष अभिव्यक्ति व्यक्तिगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलं
भूमि पर अन्य उद्देश्य के लिए मात्र कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। साक्ष्यों के आलोक में इकाई
आवंटित भू-खंड को रद्द करने का कार्यकारी निदेशक, द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 3
782/डी0 दिनांक 20.08.2015 अनुकूल है।

तदनुसार प्रश्नगत अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

24/5/2016

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

24/5/2016

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Osd leater 1